अग्रणी होम्स, डीडीएल इंफ्राटेक को रेरा ने भेजा नोटिस

राज्य ब्यूरो, पटना : रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने अग्रणी होम्स और डीडीएल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी किया है। दोनों ही मामलों में रेरा अब नियमित सुनवाई करेगा। अग्रणी होम्स से जुड़ी शिकायतों की संख्या को देखते हुए 15 जून से डबल बेंच लगातार इस मामले की सुनवाई करेगी।

रेरा ने अग्रणी होम्स को वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 की आडिट रिपोर्ट नहीं देने पर एतराज जताया। कंपनी को एक सप्ताह के भीतर परियोजना के लिए ली गई अग्रिम राशि व देनदारी आदि से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके अलावा रेरा की ओर से जारी पूर्व के आदेश को भी एक सप्ताह के अंदर अनुपालन कराने का निर्देश कंपनी को दिया गया। रेरा ने डीडीएल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की दो परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन में भी गलतियां मिलने पर 15 अगस्त तक इसे ठीक करने को कहा है। परियोजना से संबंधित सड़क, नाला आदि का ब्योरा भी एक सप्ताह में मांगा है। परियोजना के अंतर्गत जिन लोगों को जमीन बेची गई है, उन्हें 30 जून तक दाखिल-काबिज कराने का निर्देश दिया गया है। तीन सप्ताह के भीतर कंपनी को नए सिरे से नक्शा पास करने का आवेदन पटना महानगर योजना प्राधिकार को देने को कहा गया है।

Scanned with CamScanner